हाईकोर्ट

हाईकोर्ट जज को फोन लगाने का मामला, बिना शर्त फिर मांगी माफी

संजय पाठक के मामले में फैसला सुरक्षित

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया की अध्यक्षता वाली युगलपीठ में बुधवार को भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ विचाराधीन अपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई हुई। पूर्व निर्देश के पालन में विधायक पाठक स्वयं अदालत में उपस्थित हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और हस्तक्षेपकर्ता आशुतोष दीक्षित की ओर से विस्तृत बहस हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

मामले में संजय पाठक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि संबंधित न्यायाधीश को फोन अनजाने में लग गया था। रिकार्ड में केवल मिस्ड काल और एक इंट्रोडक्शन संदेश का उल्लेख है। विधायक पहले ही बिना शर्त माफी मांग चुके हैं। ऐसे में इसे आपराधिक अवमानना का मामला नहीं माना जाना चाहिये। वहीं हस्तक्षेपकर्ता आशुतोष दीक्षित की ओर से इसका कड़ा विरोध किया गया। उनका कहना था कि किसी विचाराधीन मामले में संबंधित न्यायाधीश से संपर्क का प्रयास न्यायिक प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप है। केवल माफी मांग लेने से अपराध समाप्त नहीं हो जाता। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि विधायक के पास संबंधित हाईकोर्ट जज का मोबाइल नंबर कैसे और क्यों था। यदि मामला न्यायालय में लंबित था तो गलती से फोन लगने की दलील स्वीकार नहीं की जा सकती। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद न्यायालय ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।

ज्यूडिशियल सर्वेट वाले सुप्रीम कोर्ट घटनाक्रम का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हुए एक घटनाक्रम का उल्लेख किया, जिसमें एक अधिवक्ता द्वारा न्यायाधीशों को ज्यूडिशियल सर्वेंट कहे जाने पर विवाद हुआ था। रोहतगी ने दलील दी कि उस मामले में भी आपराधिक अवमानना की कार्रवाई नहीं हुई। उनका तर्क था कि वर्तमान मामले में भी, जहां केवल मिस्ड काल, परिचयात्मक संदेश और बिना शर्त माफी का तथ्य है, उसे आपराधिक अवमानना नहीं माना जाना चाहिए।

कोर्ट से निकलकर बोले पाठक, मां पीतांबरा के दरबार जाऊंगा

सुनवाई के बाद कोर्ट परिसर में संजय पाठक ने कहा कि उनसे गलती से हाईकोर्ट जज को फोन लग गया था। उन्होंने हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है और उन्हें न्यायालय से न्याय की पूरी उम्मीद है। पाठक ने कहा कि अब वे दतिया स्थित मां पीतांबरा के दरबार में दर्शन करने जाएंगे। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार में शामिल होंगे।

गैर-शैक्षणिक कार्यों में जमे 7 शिक्षकों की अटैचमेंट समाप्त

भोपाल से फरमान मिलते ही जबलपुर में एक्शन, मूल शालाओं में लौटने के आदेश

जबलपुर। भोपाल से फरमान मिलने के बाद गैर-शैक्षणिक कार्यों में जमे 7 शिक्षकों की अटैचमेंट समाप्त कर दी गई है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टरों के साथ सीधी बातचीत की थी और चौबीस घंटे के भीतर शिक्षकों को उनके मूल विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करना का फरमान सुनाया था। कड़े निर्देशों के बाद, जबलपुर जिले के विभिन्न सरकारी विभागों और कार्यालयों में अटैच 7 शिक्षकों की संबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर ने एक्शन लिया है। जिसके बाद शिक्षा विभाग में सालों से चली आ रही अटैचमेंट व्यवस्था पर विराम लग गया। डीईओ द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, इन सभी शिक्षकों को तुरंत गैर-शैक्षणिक कार्य छोड़कर अपने मूल स्कूलों में जॉइन करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का पालन न करने पर संबंधित शिक्षकों का वेतन रोकने की सख्त चेतावनी भी दी गई है। आदेश में साफ कहा गया है कि गैर-शैक्षणिक कार्य में संलग्न सभी लोकसेवक बिना किसी देरी के अपनी मूल पदस्थापना वाली शालाओं में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

ये शिक्षक मूल शालाओं में लौटाए गए

ऋषि परौहा माध्यमिक शिक्षक को तहसीलदार भू-संसाधन प्रबंधन कार्यालय जबलपुर से शा.उ.मा.वि. कुम्ही सतधारा सिहोरा भेजा गया। इसी प्रकार मोहम्मद तारिक मंसूरी प्राथमिक शिक्षक को तहसील पनागर निर्वाचन शाखा से शा.प्रा.शा. डुंगरिया (पनागर) भेजा गया। मनोज कुमार गुप्ता व्याख्याता को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जबलपुर से शा. गांधी स्मारक उ.मा.वि. अधारताल भेजा गया। विकास चौबहा सहायक शिक्षक को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय से शा.प्रा.शा. मरही माता बेलबाग भेजा गया। इसी प्रकार सुरेश झारिया प्राथमिक शिक्षक को तहसील एवं जनगणना कार्यालय गोरखपुर से शा. उ. मा. विद्यालय सहशिक्षा गढ़ा भेजा गया। नीरजा द्विवेदी उच्च माध्यमिक शिक्षक को शा. पोस्ट मैट्रिक नवीन कन्या छात्रावास नीमखेड़ा से शा. उ. मा. वि. बालक पड़वार जबलपुर ग्रामीण भेजा गया। मनोज कुमार पाण्डे माध्यमिक शिक्षक को जिला पंचायत एवं साक्षरता मिशन कार्यालय से शा.पीएम. शा. उ. मा. वि. मालगुजार जबलपुर भेजा गया।

नहीं चली सिफारिश, दबाव

डीईओ ने जबलपुर, सिहोरा और पनागर के विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यदि ये शिक्षक अपने मूल स्कूलों में ड्यूटी पर नहीं लौटते हैं, तो उनका वेतन तत्काल रोक दिया जाए और जिला कार्यालय को रिपोर्ट भेजी जाए। आदेश के बाद हड़कंप मच गया और शिक्षकों को रिलीव करने की प्रक्रिया पूरी हुई। इस दौरान किसी की सिफारिश या दबाव नहीं चला।

कविता नागार्जुन मौत मामला : एसपी करें फैसला

सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका का निराकरण पहले एसपी करेंगे

जबलपुर। हाइकोर्ट के जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने 27 वर्षीय कविता नागार्जुन की संदिग्ध मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका का निर्देश सहित निराकरण कर दिया। इसके अंतर्गत के जबलपुर पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ता पी दक्षिणामूर्ति की शिकायत पर सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि शिकायत का निराकरण करते समय याचिकाकर्ता को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए। यदि शिकायत का संतोषजनक निराकरण नहीं होता है तो वे दोबारा हाईकोर्ट की शरण ले सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका का पटाक्षेप कर दिया। दरअसल चेन्नई निवासी पी. दक्षिणामूर्ति ने अधिवक्ताओं मनीष वर्मा, विनोद सिसोदिया, डीसी सागर व निधि सोनकर के माध्यम से याचिका दायर कर बेटी कविता की मौत की सीबीआई जांच की मांग की थी। उनका आरोप है कि 27 वर्षीय विधि स्नातक कविता की दहेज हत्या हुई, जबकि घटना को हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया। याचिका में पुलिस जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए गए।

केवल किसी व्यक्ति का लापता होना बंदी प्रत्यक्षीकरण का आधार नहीं

मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने शहडोल के 14 वर्षीय लापता बालक अंश पनिका की बरामदगी के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरस्त कर दी। कोर्ट ने साफ किया कि केवल किसी व्यक्ति के लापता होने से हेबियस कार्पस याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके लिए अवैध हिरासत के प्रथम दृष्टया संकेत होना आवश्यक है। दरअसल यह याचिका मनोज कुमार पनिका ने दायर की थी। उनका पुत्र 11 अक्टूबर 2025 से सोन नदी क्षेत्र से लापता है। राज्य सरकार ने बताया कि पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने लगातार तलाश कीए पर कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने इनाम घोषित कर राजपत्र अधिसूचना भी जारी की है। कोर्ट ने माना कि जांच लगातार जारी है और अवैध निरुद्ध किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं है।

गांजा तस्कर को दस साल की सजा, एक लाख रुपए अर्थदंड

जबलपुर। एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह ने गांजा तस्कर दमोह निवासी गजराज सिंह को 10 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले में रज्जू सिंह को दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन के अनुसार 20 जनवरी 2024 को खितौला पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों की जीप से 56 किलो गांजा बरामद किया था। मामले में एनडीपीएस की धाराओं के तहत चालान पेश किया गया। एजीपी अरविन्द जैन के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने गजराज सिंह को सजा सुनाई।

कार चलाते समय चालक को आया साइलेंट अटैक, नाले में समाई गाड़ी, मौत

जबलपुर। गोहलपुर थाना अंतर्गत अमखेरा रोड पर बुधवार को गाजी नगर लेमा गार्डन के पास कार चलाते समय चालक को अचानक चलते वाहन में दिल का दौरा आ गया। अटैक आते ही चालक का वाहन से नियंत्रण छूट गया और तेज रफ्तार कार सड़क किनारे बने गहरे नाले में जा घुसी। इस हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मंडी मदार टेकरी हनुमानताल निवासी बबुआ खान का बुधवार शाम को कार क्रमांक एमपी 20 सीबी 7666 से अमखेरा रोड से गुजर रहा था वे जैस ही गांजी नगर लेमा गार्डन के पास पहंची तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा और उनकी तबीयत बिगड़ गई। जब तक वे गाड़ी रोक पाता तब तक वे बेहोश हो गया। अनियंत्रित होकर कार रफ्तार में सीधे नाले में जा गिरी। कार को नाले में गिरता देख आसपास के राहगीरों और लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। नागरिकों ने तुरंत इस भयानक हादसे की सूचना गोहलपुर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुँचा। इसके बाद चालक को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। कार को निकवाने के लिए क्रेन को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार को नाले से बाहर खींचकर निकाला था। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि अब तक की शुरुआती जाँच और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से यह साफ हुआ है कि बबुआ खान को गाड़ी चलाने के दौरान ही अचानक गंभीर हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण वे कार पर से अपना संतुलन खो बैठे। पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जाँच कर रही है।

कलेक्टर कार्यवाही का प्रतिवेदन दो सप्ताह में दें : आयोग

क्षमता से तीन गुना अधिक बच्चों को ढो रहे स्कूली ऑटो चालक

जबलपुर। शहर में स्कूली बच्चों को लाने-ले-जाने वाले ऑटो और निजी वाहनों में क्षमता से कई गुना अधिक बच्चों को बैठाकर परिवहन किये जाने का मामला सामने आया है।

पासिंग सीट 3-4 के बजाय कमाई के चक्कर मे बच्चों की जान से खिलवाड़ कर 15-18 बच्चों को ठूस -ठूस कर बैठाया जाता है 7 कई ऑटो और निजी वाहन तो बगैर नम्बर प्लेटो के भी चल रहे 7 इन पर कार्रवाही की बजाय पुलिस और आरटीओ मौन धारण किये बैठे हुये है, जबकि जनहित का यह महत्वपूर्ण विषय है 7 इस कारण बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है।

मप्र मानव अधिकार आयोग के क्षेत्रिय कार्यालय प्रभारी फरजाना मिर्जा ने बताया की मामले को जनहित में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार की मुख्य पीठ भोपाल में प्रकरण पर सुनवाई करते हुये आयोग के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह की एकलपीठ प्रथम दृष्टया मानव अधिकारों के हनन का मामला मानकर, जबलपुर के कलेक्टर से मामले की जांच कराकर, की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन दो सप्ताह में मांगा है।

असम, झारखंड और पश्चिम बंगाल के डीजीपी तलब

स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश साइबर अपराध से जुड़े मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने असम, झारखंड और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। साइबर अपराध से जुड़े मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

दरअसल हाईकोर्ट ने साइबर अपराधों की जांच व्यवस्था पर अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि डिजिटल अपराधों में अपराधियों से तेज गति से काम करना ही सफलता की कुंजी है। जांच में जरा सी देरी भी अपराधियों को रकम गायब करने, डिजिटल साक्ष्य मिटाने और कानून की पकड़ से दूर होने का मौका दे देती है। साइबर अपराध पारंपरिक अपराधों से पूरी तरह अलग हैं। इनमें पीड़ित की तत्काल शिकायत, बैंकों द्वारा खातों को तुरंत फीज करना, टेलीकाम कंपनियों व इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म से रियल टाइम जानकारी मिलना और विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच त्वरित समन्वय बेहद जरूरी है। प्रक्रिया के किसी भी चरण में देरी सीधे अपराधियों को फायदा पहुंचाती है। मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व आदेश के पालन में जबलपुर के पुलिस अधीक्षक, गोराबाजार थाना प्रभारी और विवेचना अधिकारी व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए। पुलिस अधीक्षक ने अदालत को बताया कि शिकायत मिलते ही मामला साइबर सेल को भेज दिया गया था, लेकिन विभिन्न बैंकों की नोडल एजेंसियों से जानकारी प्राप्त करने में ही सामान्यत- तीन से पांच दिन लग जाते हैं। कई मामलों में अन्य राज्यों की पुलिस से सहयोग लेना पड़ता है, जिससे जांच और विलंबित होती है।

अदालत को यह भी बताया गया कि साइबर ठग निर्दोश लोगों के नाम पर खोले गए तथाकथित म्यूल या निल बैंक खातों तथा टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। आरोपियों तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसी को संबंधित प्लेटफॉर्म से आईपी लॉग, सब्सक्राइबर विवरण और अन्य तकनीकी जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। इस बीच आरोपी अपना ठिकाना बदल देते हैं, धनराशि स्थानांतरित कर देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिटा देते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था, जिसमें सूचनाएं कई एजेंसियों के बीच घूमती रहती हैं, जो कि अनावश्यक देरी का कारण बनती है। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि साइबर अपराधों की जांच के लिए समन्वित तंत्र स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57